



माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर
MADHAV INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, GWALIOR

Deemed to be University

(Declared under Distinct Category by Ministry of Education, Government of India)

NAAC ACCREDITED WITH A++ GRADE

Gola Ka Mandir, Gwalior (M.P.) - 474005, INDIA

Ph.: +91-751-2409300, E-mail: vicechancellor@mitsgwalior.in, Website: www.mitsgwalior.in



MITS

क्रमांक: छात्र.शा./एमएमव्हीवाय/2024-25/73

दिनांक: 23.10.2024

आवश्यक सूचना

संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. के पत्र क्रं. एफ 5/एमएमव्हीवाय/2017/76 भोपाल दिनांक 01/08/2017 के अनुसार म.प्र. शासन द्वारा 2017-18 से "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" प्रारंभ की गई है उपसचिव म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय के संशोधित आदेश क्रमांक: एफ 5-6/2017/42 (1) के अनुसार इस योजना हेतु पात्र छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि, ऑनलाईन आवेदन कर सभी प्रमाण-पत्रों सहित, अपने आवेदन-पत्र संस्था में जमा करना सुनिश्चित करें। जो छात्र/छात्राएँ अपने MMVY के आवेदन-पत्र संस्था में जमा नहीं करेंगे, उन छात्रों को समझा जावेगा, कि उन्हें "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" की पात्रता नहीं है।

पात्रता की शर्तें - सत्र 2024-25

नवीनीकरण छात्रों हेतु - नवीनीकरण छात्रों हेतु गत वर्ष की अंकसूची, प्रवेश पर्चा एवं फीस विवरण रसीद अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

नवीन छात्रों हेतु -

1. म.प्र. शासन के आदेश क्र.एफ-5-6/2017/42-1 भोपाल, दिनांक 13.09.2023 के अनुसार प्रवेशित शैक्षणिक सत्र 2023-24 से छात्र/छात्राओं को जेईई (JEE) में प्रवेश करने की बाध्यता नहीं होगी। किन्तु म.प्र. शासन के आदेश क्र./4/शैक्ष/एमएमव्हीवाय/2024/390 भोपाल, दिनांक 18.10.2024 के अनुसार (MMVY) योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को देय होगा, जिन्होंने (JEE) में प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर प्रवेश प्राप्त किया है।
2. प्रवेश परीक्षा (JEE MAINS/NEET/CLAT etc.) की अंकसूची एवं 10वीं, 12वीं की अंकसूची।
3. विद्यार्थी म.प्र. का मूल निवासी हो (छात्र/छात्राएँ 18 वर्ष पूर्ण होने पर स्वयं का मूल निवासी लगाने)।
4. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय 08 लाख या इससे कम हो (आदेश क्र. एफ-5-6/2017/42-1 भोपाल दिनांक 18.08.2023)।
5. शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (कॉशन मनी को छोड़कर) का विवरण रसीद आदि।
6. छात्र के पास आधार कार्ड हो। (the student to do ekyc on the portal as ekyc facility is already been provided on student login)
7. छात्र का बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो, आधार कार्ड भी आई. आई. एन. से मेष कराये (बैंक द्वारा NPCI Status भी Active करावे) एवं टी.सी.।
8. विद्यार्थी ने मा.शि.मं. द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित 12वीं की परीक्षा 70 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा सी.बी.एस.ई व आई. एस.सी.एस.आई. द्वारा वर्ष 2024 अथवा उसके पूर्व आयोजित 12वीं की परीक्षा 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण की हो।

योजना की अन्य शर्तें -

1. छात्रों को संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा।
2. विद्यार्थी द्वारा राज्य/केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।
3. म.प्र. के समस्त युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत म.प्र. सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि को वापिस जमा करा सकेंगे।

योजना में आवेदन की प्रक्रिया -

1. छात्रों को शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु <https://medhavikalyan.mp.gov.in> पर रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
2. छात्र/छात्राओं को योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर लॉग इन कर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। एवं संस्था में समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन (दो सेट) जमा करने होंगे।

प्रतिलिपि -

1. संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल।
2. प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्वालियर।
3. कुलपति कार्यालय।
4. रजिस्ट्रार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त सूचना पटल।
7. बेब मैनेजर, एमआईटीएस अपलोड करने हेतु।
8. लेखा शाखा।

(प्रो.डॉ.) प्रवेश जायसवाल
रजिस्ट्रार
23.10.2024

"MITS : Mission to Innovate Technology for Society."